न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या –2059/2026</u>

<u>टेकारी थाना काण्ड संख्या–124/2026</u>

धारा– 80(2),3(5) बी0एन0एस0।

1.रेणु देवी, उम्र–47 वर्ष, पति–स्व0 संजय तिवारी,

2.बादल कुमार, उम्र–18 वर्ष, पिता–स्व0 संजय तिवारी

दोनों ग्राम–अंदर किला, थाना–टेकारी, जिला–गया

————————————————————अभियुक्तगण

बनाम

बिहार सरकार ————————————————————————————अभियोजन पक्ष

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह

अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजकः– श्री कमल किशोर पंडित

<u>आदेश</u>

17.06.2026 आवेदक /अभियुक्तगण की ओर से दिनांक 23.05.2026 को अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो टेकारी थाना काण्ड संख्या–124/2026, धारा–80(2),3(5) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित है। जिस पर आवेदक/ अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते है कि आवेदक/ अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष है और इन्होंनें कोई अपराध नहीं किया है, आवेदक को इस वाद में झूँठा फॅसाया गया है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक/अभियुक्तगण प्राथमिकी का नामजद अभियुक्तगण है। आवेदक/अभियुक्तगण पर मृत्यु कारित करने का आरोप है। अतः आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया जाए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि इनलोगों ने विना देवी की मृत्यु दहेज के लिये कारित की है। सूचक–अजय तिवारी साक्षी–आकाश कुमार, अभय ने घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका 31 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विना देवी की मृत्यु मुलायम कपड़े एवं रस्सी से गले को कसने के कारण हुयी है। आवेदकगण मृतिका के सास एवं देवर है। कथित घटना अभियुक्तगण के घर में हुयी है। अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं। इसलिये अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचना करने के पश्चात मैं पाता हूं कि इन्हें अग्रिम जमानत

देना न्यायोचित नहीं है। इसलिये इनके अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
Sd/-
राजेश सिंह
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– II,
गया